HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13083/2026
CNR: RJHC020804982026 | URN: CRLMB / 24187U / 2026

Puran Ram S/o Birdu Ram, Aged About 55 Years, R/o Gadi Mamod, P.s. Naraianpur, District Kotputli-Behror, Rajasthan. (Accused At Present Confined In Sub Jail, Kotputli-Behror).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Samarth Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakad, PP Mr. Jai Raj Tantia for Complainant

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

10/09/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना–नारायणपुर, जिला–कोटपूतली बहरोड में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **134/2026** अपराध अन्तर्गत 189(2), 115(2), 126(2), 329(3), 117(2), 118(1), 110 बी.एन.एस. में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को मामले में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 23 व्यक्तियों का नाम अंकित कर दिया गया है। उनका तर्क है कि पक्षकारों के बीच जमीन का विवाद है तथा जिस जमीन के सम्बन्ध में झगडा हुआ है, वह प्रार्थी/अभियुक्त की जमीन है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति के कोई विशिष्ट रूप से चोट कारित करने का आक्षेप नहीं है। प्रकरण में आहतगण के जो चोटें कारित हुई हैं, वह साधारण प्रकृति की हैं। प्रार्थी/अभियुक्त पक्ष की ओर से भी इसी झगड़े के सम्बन्ध में क्रॉस–केस दर्ज करवाया गया था। झगडे में प्रार्थी/अभियुक्त के भी चोटें कारित हुई हैं।

प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 5.8.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। मामले के अन्वेषण और अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाये।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त अन्य अभियुक्तगण के साथ उन्हे जमीन से बेदखल करने के लिए हथियारों से लैस होकर परिवादी पक्ष के साथ बुरी तरह से मारपीट की, जिसमें 9 व्यक्तियों को चोटें कारित हुई थी, जिसमें सुप्यार के सिर पर धारदार हथियार से चोट आई थी, जिस पर 6 टांके आये थे। इसके अलावा अन्य आहतगण के भी कई चोटें कारित हुई हैं। प्रार्थी–अभियुक्त के आधिपत्य से अपराध में प्रयुक्त लाठी भी बरामद हुई हैं। मामले में अभी अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है। गंभीर अपराध है। उसे जमानत पर मुक्त नहीं किया जाये।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रकरण में दर्ज करवाई प्रथम सूचना रिपोर्ट में 23 व्यक्तियों का नाम अंकित है। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा आहतगण के पुलिस बयानों में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी आहत के कोई विशिष्ट रूप से चोट कारित करने का आक्षेप नहीं है। प्रकरण में आहतगण के जो चोटें कारित हुई हैं, वह साधारण प्रकृति की होना पाया गया है। इसी झगड़े के सम्बन्ध में प्रार्थी/अभियुक्त पक्ष की ओर से भी प्रकरण में क्रॉस–केस दर्ज करवाया गया था तथा झगडे में प्रार्थी/अभियुक्त के भी चोटें कारित होना पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की आयु 55 वर्ष होना बताया गया है तथा वह दिनांक 5.8.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। मामले के अन्वेषण और अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में, इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास

हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर मुक्त कर दिया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J

68/JITENDRA SINGH PANWAR